भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न 4197
मंगलवार, 19 अगस्त, 2025/28 श्रावण,1947 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी समिति नीति के उद्देश्य

4197. श्री बृजमोहन अग्रवालः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नई राष्ट्रीय सहकारी समिति नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है तथा मसौदा नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्लेटफॉर्म-सहकारी समितियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इनमें से कौन-कौन से विकास के चरण में और प्रोटोपाइप के चरण में हैं तथा छत्तीसगढ़ सहित देश में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हैं;

(ग) डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकारी समितियों में बाह्य उद्यम निधि बनाने की सरकार की क्या योजना है;

(घ) क्या सहकारी समितियां उद्यम निधि की तर्ज पर अन्य निजी स्टार्टअप कंपनियों में निवेश कर सकती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो भविष्य की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों में गठित बहु-राज्य सहकारी समितियों की संख्या कितनी है और ऐसी समितियों की सूची क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): मंत्रालय द्वारा 24 जुलाई, 2025 को नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 का विमोचन किया गया है। यह नीति सहकारी क्षेत्र के व्यवस्थित और सर्वांगीण विकास के लिए एक रोडमैप और व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

नीति के मिशन को आगामी 10 वर्षों में 16 उद्देश्यों से प्राप्त किया जाना है, जिन्हें छह रणनीतिक मिशन स्तंभों के अंतर्गत समूहबद्ध किया गया है, जो **संलग्नक- I** में संलग्न है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश नीतिगत बिन्दु कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ख): सहकारिता एक सहकारी स्वामित्व वाला मंच और लोकतांत्रिक रूप से शासित व्यवसाय है जो उत्पादों को बेचने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इस आधार पर और "सहकार से समृद्धि" के सिद्धांतों के आधार पर, सहकार टैक्सी कॉपरेटिव लिमिटेड नामक एक टैक्सी सेवा को बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है, ताकि एक सहकारिता मॉडल पर ऐप आधारित टैक्सी सेवा विकसित की जा सके, जो ड्राइवर-सदस्यों और ग्राहकों दोनों को लाभान्वित करे। सहकारिता, पारदर्शिता और साझा स्वामित्व के सिद्धांतों में निहित, सहकार टैक्सी का उद्देश्य पारंपरिक राइड-हेलिंग प्लेटफार्मों के लिए एक जन-केंद्रित विकल्प प्रदान करना है। ऐप विकसित किया जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली और गुजरात में लॉन्च किए जाने की संभावना है।

(ग): सहकारिता में सहकार के सिद्धांतों पर आधारित इस परियोजना को सात प्रमुख सहकारी संगठनों: इफको, नेफेड, अमूल, कृभको, एनडीडीबी, एनसीईएल और नाबार्ड के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(घ): संशोधित बहु-राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित 2023) की धारा 19 के अनुसार, कोई भी MSCS, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से आम बैठक में पारित एक संकल्प द्वारा, एक या अधिक subsidiary संस्थानों को बढ़ावा दे सकता है, जो अपने घोषित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्समय लागू किसी भी कानून के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, यह समिति उपर्युक्त अधिनियम की धारा 64 के अनुसार अपनी निधियों को निम्न विकल्पों में निवेश या जमा करा सकती हैं :- (i) सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक; (ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी निगमों, सरकारी कंपनियों, प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सरकारी गारंटी द्वारा सुनिश्चित किसी भी अन्य प्रतिभूतियों; (iii) किसी अन्य बहु-राज्य सहकारी समिति या किसी सहकारी समिति के शेयरों या प्रतिभूतियों में; (iv) बहु-राज्य सहकारी समिति के समान व्यापार प्रकृति वाले subsidiary संस्थान या किसी अन्य संस्थान, के शेयरों, प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों में; (v) किसी अन्य अनुसूचित या राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ; (vi) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य तरीके से।

(ङ): देश में MSCS अधिनियम, 2002 के तहत कुल 1779 MSCS पंजीकृत की गई हैं (राज्यवार ब्योरा **संलग्नक -II** में संलग्न है), जिनमें से 8 MSCS छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत की गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत समितियों की विस्तृत सूची **संलग्नक -III** में संलग्न है।

*****

<u>संलग्नक -I</u>

छह रणनीतिक मिशन स्तंभ निम्न प्रकार हैं:

नींव का सशक्तीकरण :

1. समयबद्ध सुधारों के माध्यम से अनुकूल विधिक और विनियामक माहौल निर्मित करके सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्रदान करना, पारदर्शिता, सुगम व्यवसाय और सुशासन को बढ़ावा देना एवं उन्हें समान अवसर प्रदान करना।
2. अन्य आर्थिक संस्थानों की ही तरह उन्हें सुगम और किफायती वित्त तथा समान व्यावसायिक अवसर प्रदान करना ।
3. सहकारिता में सहकार, सहकारी संरचना का सशक्तीकरण और उनके भौगोलिक पहुँच का विस्तार करना ।

जीवंतता को प्रोत्साहित करना:

4. सहकारी व्यवसाय इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करना ।
5. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच सहित बहुआयामी विस्तार को प्रोत्साहित करना तथा सदस्यों की आय में वृद्धि करना।

सहकारी समितियों को भविष्य के लिए तैयार करना:

6. प्रभावशाली और पारदर्शी प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना ।
7. सहकारी समितियों को सहकारी सिद्धांतों पर आधारित पेशेवर-प्रबंधित आर्थिक इकाइयों में रूपांतरित होने में सहयोग करना ।

समावेशिता को बढ़ावा देना और पहुँच का विस्तार करना:

8. समावेशिता और सदस्य केंद्रीयता को बढ़ावा देकर तथा सहकारी व्यवस्था के माध्यम से देश के सभी हिस्सों और जनता तक पहुँच बनाना ।
9. विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना ।

नए और उभरते क्षेत्रों में विस्तार करना:

10. नए और उभरते क्षेत्रों में सहकारी समितियों के विस्तार को प्रोत्साहित करना ।
11. सततता (sustainability) हेतु पर्यावरण-अनुकूल आचरणों और चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) को प्रोत्साहित करना।

सहकारी विकास के लिए युवा पीढ़ी को तैयार करना:

12. युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के युवाओं को सहकारी उद्यमों में दीर्घकालिक करियर अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना ।
13. मानकीकृत, उच्च-कोटि, सहकार-केंद्रित पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करना और प्राधिकृत विषयवस्तु का निर्माण करना ।
14. सहकारी क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास और कौशल बढ़ाने वाले इकोसिस्टम को बढ़ावा देना ।
15. सहकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को अंशकालिक विषय विशेषज्ञ (part time resource persons), उत्कृष्ट शिक्षकों, अनुदेशकों, प्रशिक्षकों और अतिथि संकाय की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
16. सहकारी समितियों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति और भावी अभ्यर्थियों के लिए नौकरी ढूंढने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सुगम इकोसिस्टम विकसित करना ।

संलग्नक -II

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची।

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	MSCS की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12
2	अरुणाचल प्रदेश	1
3	असम	6
4	बिहार	25
5	चंडीगढ़	2
6	छत्तीसगढ़	8
7	दिल्ली	168
8	गोवा	3
9	गुजरात	54
10	हरियाणा	24
11	हिमाचल प्रदेश	2
12	जम्मू और कश्मीर	2
13	झारखंड	10
14	कर्नाटक	40
15	केरल	96
16	मध्य प्रदेश	30
17	महाराष्ट्र	714
18	मणिपुर	4
19	नागालैंड	1
20	ओडिशा	20
21	पुडुचेरी	5
22	पंजाब	26
23	राजस्थान	76
24	सिक्किम	1
25	तमिलनाडु	143
26	तेलंगाना	26
27	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1
28	उत्तर प्रदेश	196
29	उत्तराखंड	10
30	पश्चिम बंगाल	73

संलग्नक -III

बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी समितियों की सूची।

क्र.सं.	समिति का नाम	पंजीकृत पता	क्षेत्र
1	अमृत डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	C/O डी. के. सोनी हाउस , फेज़ 2, मैत्रीचाय पितृचाय हाउस, सहाय अस्पताल के पास, प्रियदर्शिनी नगर, रायपुर - 492001, छत्तीसगढ़	डेयरी कोऑपरेटिव
2	यल्सको सेविंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	यल्सको बिल्डिंग, ऋद्धि-सिद्धि कॉलोनी, डौगरगांव रोड, राजनांदगांव-491441, छत्तीसगढ़	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी
3	ओम भू विकास क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	कादंबरी नगर, महिमा अस्पताल के पास, दुर्ग, छत्तीसगढ़-491001	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी
4	पीआईसीएल मल्टी-स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	शॉप नं.445, 4th फ्लोर, प्रोग्रेसिव पॉइंट, धमतरी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी
5	अरोग्या इंडिया मल्टी स्टेट मेम्बर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	उत्तरायण कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, शीतला चौक, डंगानिया, रायपुर-492013, (छत्तीसगढ़)	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी
6	महाकालेश्वर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड	प्लॉट नं. 5/4, नेहरू परिसर, नेहरू नगर स्क्वायर, भिलाई, दुर्ग 490020, छत्तीसगढ़	हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी
7	पी एंड टी वर्कर्स थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	1, विवेकानंद नगर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़ 429001	क्रेडिट और थ्रिफ्ट सोसाइटी
8	भारतीय बहु-उद्देश्य विपणन सहकारी समिति लिमिटेड	1, साईं नगर, रायपुर छत्तीसगढ़ 492001	बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति